



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61457

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 11974 वर्ष 2026

शायदा खातून उर्फ शाहिदा खातून

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	दिनेश कुमार शुक्ला, यशवंत कुमार वेनवंश,
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल,

1. वादसूची पुनरावलोकित की गई।
2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सिंह और न्यायालय में उपस्थित आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री यशवंत कुमार वेनवंश तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री अजय सिंह को सुना और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया।
3. यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आवेदिका- शायदा खातून उर्फ शाहिदा खातून द्वारा मामला अपराध संख्या 341 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता और धारा 3(1) (डीएचए), 3(2)(वीए) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम, पुलिस स्टेशन धनघाटा, जिला संत कबीर नगर से उत्पन्न एवं न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, संत कबीर नगर में लंबित सत्र परीक्षण संख्या 889 वर्ष 2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शायदा खातून उर्फ शाहिदा खातून) में इस आवेदन को स्वीकार करने और आक्षेपित आरोप-पत्र दिनांक 21.07.2025 और संज्ञान/समन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश दिनांक 10.12.2025 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है, साथ ही यह भी प्रार्थना की गई है कि इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान उपरोक्त मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

4. मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने 09.07.2025 को धारा 87, 137(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता और धारा 3(2)(वी), 3(2)(वीए), 3(1)(डीएचए) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अयान अंसारी और वर्तमान आवेदिका शायदा खातून उर्फ शाहिदा खातून के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह दलित समाज की महिला है। अयान अंसारी संत कबीर नगर का निवासी है। वह उसकी बेटी के पीछे पड़ा था और जब भी उसे मौका मिलता, वह उससे बात करने का प्रयास करता था। उसका यह रवैया देखकर उसने उसे डांटा, लेकिन उसने अपना व्यवहार नहीं सुधारा। 05.07.2025 को दोपहर लगभग 3 बजे अयान अंसारी ने उसकी बेटी से शादी करने का झूठा बहाना बनाकर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। खोजबीन के दौरान वह 5 जुलाई 2025 को उसके घर गई, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी माँ शाहिदा खातून से हुई। उसने अपनी बेटी के बारे में पूछताछ की, जिस पर शाहिदा क्रोधित हो गई और जातिगत अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे धमकी दी। इसके बाद वह अपने घर लौट आई। काफी कोशिशों के बाद भी जब उसे अपनी बेटी का हाल पता नहीं चला, तो उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

5. पीड़िता को बरामद कर लिया गया और धारा 180 बी.एन.एस.एस. और धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उसका अभिकथन दर्ज किया गया। अन्वेषण पूरी होने पर आरोप-पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, संत कबीर नगर ने आदेश दिनांक 10.12.2025 के द्वारा आवेदिका को परीक्षण का सामना करने के लिए तलब किया। जहाँ तक सह-अभियुक्त अयान अंसारी का संबंध है, उसका नाम आरोपमुक्त कर दिया गया है, जिसका स्थान आरोप-पत्र में अभियुक्तों की सूची में कॉलम 12 में है, जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र नहीं है।

6. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि संज्ञान लेने का आदेश अवैध है क्योंकि संबंधित न्यायालय इस तथ्य को समझने में विफल रहा है कि पीड़िता ने अन्वेषण के दौरान दर्ज अपने अभिकथन में आवेदिका के विरुद्ध आरोपों के संबंध में अस्पष्ट और गोलमोल जानकारी दी है। उनका निवेदन है कि यद्यपि अयान अंसारी का नाम भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में दर्ज था, लेकिन अन्वेषण में उसे दोषमुक्त कर दिया गया है और केवल आवेदिका के विरुद्ध ही आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि मामला झूठे, गोलमोल और सामान्य आरोपों पर आधारित है।

7. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कार्यवाही रद्द करने की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि आवेदिका के विरुद्ध लगाए गए आरोपों और अन्वेषण के दौरान सूचनाकर्ता के अभिकथन के आधार पर आवेदिका के विरुद्ध संज्ञेय अपराध बनता है। उन्होंने कहा कि संबंधित परीक्षण न्यायालय ने अपराध गठित होने से संतुष्ट होने के बाद पारित आदेश दिनांक 10.12.2025 के द्वारा आवेदिका को तलब किया था। उन्होंने निवेदन किया कि इस मामले में कार्यवाही रद्द करने का कोई आधार नहीं है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का परिशीलन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि आवेदिका का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और अन्वेषण के बाद उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आदेश दिनांक 10.11.2025 के द्वारा उसे तलब किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्वेषण के दौरान एकत्रित सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका के विरुद्ध आरोप हैं। निरस्त करने संबंधी कानून सर्वविदित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के दायरे और अस्पष्टता पर सर्वोच्च न्यायालय ने *नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) 19 एससीसी 401* के मामले में विस्तारपूर्वक निपटान व विचार किया है और निम्नानुसार संप्रेक्षित और अभिनिर्धारित किया:

“13. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से, प्रिवी कौंसिल के ख्वाजा नाजिर अहमद [किंग सम्राट बनाम ख्वाजा नाजिर अहमद, 1944 एससीसी ऑनलाइन पीसी 29 : (1943-44) 71 आईए 203 : एआईआर 1945 पीसी 18] में निर्णय से लेकर, कानून के निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं:

13.1. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 14 में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस को संज्ञेय अपराधों के अन्वेषण करने का वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है।

13.2. न्यायालय संज्ञेय अपराध के मामलों के किसी भी अन्वेषण में बाधा नहीं डालेंगे।



13.3. हालांकि, जिन मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं होता है, उन मामलों में न्यायालय अन्वेषण को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देगा।

13.4. किसी भी निर्णय को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से, केवल 'दुर्लभतम मामलों' में ही किया जाना चाहिए। (धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत निर्णय को रद्द करने के लिए 'दुर्लभतम मामलों' के मानक को मृत्युदंड के संदर्भ में निर्धारित मानदंड से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।)

13.5. किसी प्र.सू.रि./परिवाद की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की गई हो, न्यायालय प्र.सू.रि./परिवाद में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता या अन्यथा की जांच नहीं कर सकता है।

13.6. आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में ही समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

13.7. किसी परिवाद।प्र.सू.रि. को रद्द करना एक अपवाद और दुर्लभ घटना होनी चाहिए, न कि एक सामान्य नियम।

13.8. सामान्यतः, न्यायालयों को पुलिस के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोका गया है, क्योंकि राज्य के ये दोनों अंग दो विशिष्ट कार्यक्षेत्रों में कार्य करते हैं। यद्यपि, न्याय के उद्देश्यों की रक्षा करने या प्रक्रिया के अतिक्रमण को रोकने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को दंड प्रक्रिया की धारा 482 द्वारा मान्यता प्राप्त है।

13.9. न्यायपालिका और पुलिस के कार्य एक दूसरे के पूरक हैं, न कि परस्पर विरोधी।

13.10. उन असाधारण मामलों को छोड़कर जहां हस्तक्षेप न करने से न्याय का उल्लंघन होगा, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराधों के अन्वेषण के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।



13.11. न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी झक या सनक के अनुसार कार्य करने का मनमाना अधिकार प्रदान नहीं करती हैं।

13.12. प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई ज्ञानकोश नहीं है जिसमें अपराध से संबंधित सभी तथ्य और विवरण दिए गए हों। इसलिए, जब पुलिस द्वारा अन्वेषण चल रही हो, तो न्यायालय को प्र.सू.रि. में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर विचार नहीं करना चाहिए। पुलिस को अन्वेषण पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि परिवाद/प्र.सू.रि. की जांच नहीं की जानी चाहिए या यह विधि का दुरुपयोग है। अन्वेषण के दौरान या उसके बाद, यदि अन्वेषण अधिकारी को परिवादी द्वारा दिए गए आवेदन में कोई सार नहीं मिलता है, तो अन्वेषण अधिकारी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उपयुक्त रिपोर्ट/सारांश प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार कर सकते हैं।

13.13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दी गई शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन इस व्यापक शक्ति के कारण न्यायालय को सतर्क रहना आवश्यक है। यह न्यायालय पर एक कठिन और अधिक कर्तव्यपरायण दायित्व डालता है।

13.14. हालांकि, साथ ही, न्यायालय, यदि वह उचित समझे, तो निरस्त करने के मापदंडों और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-संयम को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर मामले में निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए [आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, 1960 एससीसी ऑनलाइन एससी 21 : एआईआर 1960 एससी 866] और भजन लाल [हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 अनुपूरक (1) एससीसी 335 : 1992 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 426], के पास प्र.सू.रि./परिवाद को रद्द करने का क्षेत्राधिकार है।

13.15. जब अभियुक्त द्वारा प्र.सू.रि. रद्द करने की प्रार्थना की जाती है, तो न्यायालय धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए केवल इस

बात पर विचार करता है कि प्र.सू.रि. में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध के घटित होने का संकेत देते हैं या नहीं, और उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोप संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं या नहीं। न्यायालय को अन्वेषण अभिकरण/पुलिस को प्र.सू.रि. में लगाए गए आरोपों की अन्वेषण करने की अनुमति देनी होती है।"

9. प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य: 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1947 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिकाओं पर विचार करते समय उच्च न्यायालयों द्वारा पालन किए जाने वाले चार-चरणीय परीक्षण निर्धारित किए हैं। इसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारण दिए गए हैं:

"20. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अभियुक्त द्वारा दायर की गई निरस्तीकरण हेतु याचिका की सत्यता का निर्धारण सामान्यतः निम्नलिखित चरणों द्वारा किया जाना चाहिए:-

(i) पहला चरण, क्या अभियुक्त द्वारा भरोसा की गई सामग्री ठोस, तर्कसंगत और निर्विवाद है, यानी क्या सामग्री उत्कृष्ट और त्रुटिहीन गुणवत्ता की है?

(ii) दूसरा चरण, क्या अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सामग्री, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में निहित दावों को खारिज कर देगी, अर्थात्, क्या सामग्री परिवाद में निहित तथ्यात्मक दावों को अस्वीकार करने और खारिज करने के लिए पर्याप्त है, अर्थात्, क्या सामग्री ऐसी है जो एक समझदार व्यक्ति को आरोपों को झूठा बताने के तथ्यात्मक आधार को खारिज करने और निंदनीय मानने के लिए राजी कर लेगी।

(iii) तीसरा चरण, क्या अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सामग्री का अभियोजन पक्ष/परिवादी द्वारा खंडन नहीं किया गया है; और/या क्या सामग्री ऐसी है कि अभियोजन पक्ष/परिवादी द्वारा इसका उचित रूप से खंडन नहीं किया जा सकता है?

(iv) चौथा चरण, क्या परीक्षण की कार्यवाही आगे बढ़ाने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और क्या इससे न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी?



यदि सभी चरणों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे इस प्रकार की आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए राजी करना चाहिए, इस प्रकार शक्ति का प्रयोग, अभियुक्त को न्याय दिलाने के अलावा, न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाएगा, जो अन्यथा ऐसे परीक्षण (और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही) को चलाने में बर्बाद हो जाएगा, विशेष रूप से तब जब यह स्पष्ट हो कि यह अभियुक्त की दोषसिद्धि में समाप्त नहीं होगा।

[(देखें: राजीव थापर बनाम मदन लाल कपूर (आपराधिक अपील संख्या 174 वर्ष 2013)]"

10. निरस्त करने का कानून सख्त और सर्वमान्य है। वर्तमान मामला सर्वोच्च न्यायालय के नौहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) मामले और प्रदीप कुमार केसरवानी (उपरोक्त) मामले में चार-चरणीय परीक्षण में उल्लिखित मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है। यह सर्वमान्य कानून है कि निरस्त करने के चरण में केवल अभियोजन पक्ष की सामग्री को देखा जाना चाहिए और न्यायालय अभियुक्त के बचाव में गहराई से नहीं जा सकता है और फिर प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करके मामले के गुणदोष की जांच नहीं कर सकता है। धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस स्तर पर मामले के विवादित तथ्यों का निर्णयन नहीं किया जा सकता है और केवल प्रथम दृष्टया अभियोजन पक्ष के मामले को ही देखा जाना चाहिए। अभियुक्त के बचाव को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसके अलावा, यह भी सर्वविदित है कि धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को लघु परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।

11. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान आवेदन **खारिज किया जाता है।**

12. यदि कोई आवेदन लंबित है, तो उसे निस्तारित कर दिया गया है।

25 मार्च, 2026

एस राठौर

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।